सं. 16/19/2022- राजभाषा ( सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-2 बिल्डिंग,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001
दिनांक: 20.01.2023

**कार्यालय ज्ञापन**

विषय: सहायक अनुभाग अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (02 पद) के स्तर पर परामर्शदाता के रूप में अनुबंध आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों की तैनाती के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 20.01.2023 के राजभाषा विभाग के समसंख्यक परिपत्र को परिचालित करने का निदेश हुआ है जो अनुबंध आधार पर परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, जो कम से कम सहायक अनुभाग अधिकारी (सीएसएस कैडर) के स्तर के हों, से आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में है।

अनुलग्नक: उपरोक्त के अनुसार

20/1/23
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग।

सं. 16/19/2022- राजभाषा ( सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-2 बिल्डिंग,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001
दिनांक: 20.01.2023

**विषय: सहायक अनुभाग अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (02 पद) के स्तर पर परामर्शदाता के रूप में अनुबंध आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों की तैनाती के संबंध में।**

राजभाषा विभाग अनुबंध आधार पर परामर्शदाता की तैनाती के लिए आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करता है जो कम से कम सहायक अनुभाग अधिकारी (सीएसएस संवर्ग) के स्तर के हों तथा जिन्हें कानूनी मामलों और प्रक्रियाओं, ई-ऑफिस आदि के कार्यसाधक ज्ञान के साथ-साथ स्थापना/प्रशासन नियमों की अच्छी जानकारी हो। परामर्शदाताओं की तैनाती के लिए विस्तृत नियम और शर्तें **अनुबंध- I** में हैं।

2. इच्छुक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, जिनका स्वास्थ्य अच्छा है और तुरंत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में हैं, कृपया अपना विवरण संलग्न प्रपत्र **(अनुबंध- II)** में संबंधित दस्तावेजों के साथ श्रीमती सरोज मैरी खाल्खो, अवर सचिव (प्रशा.), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-2 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001 को 20/02/2023 तक या उससे पहले प्रस्तुत करें।

3. चुने गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा, जिसके बारे में उन्हें उचित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ कोई टीए/डीए अनुमेय नहीं होगा।

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

अवर सचिव (CS-I), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली- को व्यापक प्रचार के लिए इसे डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।

<u>अनुबंध- I</u>

## सामान्य नियम और शर्तें

1. परामर्शदाता अपने नियंत्रक/प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा उसे सौंपी गई सेवाओं का निष्पादन करेगा।
2. कामकाज का सामान्य समय **सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.00 बजे से शाम 5.30 बजे (दोपहर 1.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक 30 मिनट के लंच ब्रेक के साथ)** तक होगा। आकस्मिक स्थिति में, परामर्शदाता को छुट्टियों में या सामान्य कामकाजी घंटों के अतिरिक्त कार्य के लिए बुलाया जा सकता है, जिसके लिए कोई प्रतिपूरक अवकाश या मुआवजा/अनुमति नहीं दी जाएगी ।

3. परामर्शदाता की तैनाती विशुद्ध रूप से अनुबंध आधार पर होगी। पुनर्नियुक्ति के मामले के रूप में इस तैनाती पर विचार नहीं जाएगा।
4. परामर्शदाता किसी भी प्रकार के आवासीय या महंगाई भत्ता, परिवहन सुविधा, रिहायशी आवास, पर्सनल स्टाफ, सीजीएचएस और चिकित्सा प्रतिपूर्ति इत्यादि जैसे भत्ते की सुविधा का हकदार नहीं होगा।
5. अनुबंध आधार पर तैनात व्यक्ति किसी अन्य लाभ अर्थात भविष्य निधि, पेंशन, बीमा, ग्रेच्युटी आदि के हकदार नहीं होंगे। ।
6. परामर्शदाता की नियुक्ति की अवधि शुरूआत में एक वर्ष या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी। कार्य निष्पादन के आधार पर और केवल इस विभाग के विवेकाधिकार पर समीक्षा के अधीन इस अवधि बढ़ाया या कम किया जा सकता है। परामर्शदाता की आयु अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए।
7. **परामर्शदाता को एक निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा जोकि सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी द्वारा आहरित अंतिम वेतन माइनस पेंशन प्लस टीए की दर से तैयार फॉर्मूले के अनुसार होगा। अनिवार्य कटौती, यदि कोई हो, की जाएगी। अनुबंध अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि नहीं की जाएगी।**
8. परामर्शदाता को सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिन के अवकाश की अनुमति होगी। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक अवकाश के संचय की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, उपयोग न की गई छुट्टियों के एवज में इस विभाग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। एक बार में तीन दिन से अधिक की छुट्टी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. विभाग के पास बिना कोई नोटिस दिए और कारण बताए, जो भी हो, किसी भी समय उसकी तैनाती को रद्द करने का अधिकार होगा। वह 15 दिनों की अग्रिम सूचना या उसकी एवज में परामर्श शुल्क देने के बाद परामर्शदाता के पद से त्यागपत्र दे सकता/सकती है।
10. उनकी तैनाती पूर्णकालिक आधार पर होगी और इस विभाग में अपनी परामर्शी अवधि के दौरान, वह किसी भी सार्वजनिक या निजी संगठन का कोई कार्यभार नहीं संभालेंगे/संभालेंगी।
11. वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा/करेगी, जो इस विभाग या भारत सरकार के कार्यकलापों या प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदेह हो।
12. वह किसी तीसरे पक्ष के साथ इस विभाग से संबंधित किसी भी गुप्त या गोपनीय जानकारी या डेटा को साझा नहीं करेगा/करेगी, जिसके बारे में उसे अपनी तैनाती के दौरान पता चला हो या जानकारी मिली हो।
13. वह अपनी तैनाती के दौरान हितों का टकराव करने वाली किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा/होगी या स्वयं को अनुपयुक्त साबित करने वाला गलत वर्ताव नहीं करेगा/करेगी।
14. वह इस विभाग में परामर्शदाता के रूप में अपनी तैनाती के दौरान पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखेंगे/रखेंगी।
15. यदि अभ्यर्थी द्वारा की गई कोई भी घोषणा या दी गई जानकारी गलत साबित होती है या ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी ठोस जानकारी को जानबूझ कर छुपाया है, तो वह तैनाती सेवा से हटाए जाने और ऐसी अन्य कार्रवाई, जो सरकार आवश्यक समझे, के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
16. साक्षात्कार में भाग लेने या तैनाती ग्रहण करने के लिए परामर्शदाताओं को किसी टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। परामर्शदाता को सरकारी खर्चे पर किसी भी विदेश यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
17. इस विभाग को किसी भी समय उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की जांच/समीक्षा करने का अधिकार होगा।

18. यह विभाग उसके किसी भी नुकसान, दुर्घटना क्षति/चोट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो यात्रा समेत उसके काम के निष्पादन के दौरान या उसके बाद हुआ हो।

अनुबंध- II

**राजभाषा विभाग, नई दिल्ली-110001 में परामर्शदाता के रूप में केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नाम | |
| 2. | पिता का नाम | |
| 3. | जन्म तिथि और आयु | |
| 4. | सम्पर्क विवरण | |
| 5 | पत्र व्यवहार का पता | |
| 6. | सरकारी सेवा में शामिल होने की तिथि | |
| 7. | सेवानिवृत्ति की तिथि | |
| 8. | जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं | |
| 9. | विभाग का नाम, जहां से सेवानिवृत्ति हुई है | |
| 10. | आहरित अंतिम वेतन | |
| 11. | पीपीओ संख्या (प्रतिलिपि के साथ) | |
| 12. | अनुभव विवरण (एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है) | |

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और धारणा के अनुसार सत्य और सही हैं।

मैं मानता हूं और इस बाद से सहमत हूं कि चयन/साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी समय जानकारी असत्य या गलत/अपूर्ण या अपात्रता पाए जाने की स्थिति में, मेरी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और मैं विभाग के निर्णय को मानने के लिए बाध्य रहूंगा।

मैंने इस परिपत्र को पढ़ लिया है और मुझे परामर्शदाता की तैनाती संबंधी सामान्य नियम और शर्तें स्वीकार हैं।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)